न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपीलसंख्या 684/2020 जीसीएमएस संख्या 2020/00493

1. हनीफ खाँ पुत्र मोती खाँ जाति मुसलमान, निवासी मुसलमानों का मोहल्ला, ग्राम महलाँ, तहसील गोजमाबाद, जिला जयपुर ।

—अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर, जयपुर, उनवानी सरकार बनाम मोती खाँ मिसल नं. 2322/1992 दिनांक 29.09.1992

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार चौधरी वकील अपीलांट

निर्णय

दिनांक–31.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 29.09.1992 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. जिला कलक्टर जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 29.09.1992 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 29.09.1992 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट के योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम महलाँ, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर मे दिनांक 31.12.1987 को ग्राम पंचायत महलो मे भूमि अवांटन हेतु कैम्प का आयोजन हुआ जिसमे अपीलान्ट के पिता मोती खाँ पुत्र अलार खाँ द्वारा ग्राम पचायत महलों के सरपंच एवं श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय, सांभरलेक के समक्ष भूमि आवंटन बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे अपीलान्ट के पिता भूमिहीन होने की पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.12.1987 के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय, सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा कैम्प दिनांक 31.12.1987 को ग्राम महलो के साबिक खसरा नम्बर 4 रकबा 10 बीघा भूमि का आवटन कैम्प महलो मे कर तहसीलदार दूदू को उक्त आवंटन की सूचना दी गई और पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये। जिसकी अनुपालना मे पटवारी हल्का ने दिनांक 07.10.1989 को खसरा नम्बर 4 मे रकबा 10 बीघा गैर मु. खारडा नाप कर अपीलान्ट के पिता को सम्भला दिया गया। तत्पश्चात् अपीलान्ट के पिता द्वारा उक्त भूमि को विकसित करने के लिये उक्त भूमि को

संभागीय आयुक्त
जयपुर

जोतकर व समतल कर जिप्सम डालकर उपजाऊ बनाई गई और उक्त भूमि को हर भरा करने के लिये विभिन्न प्रकार के झाडीनुमा पेड़–पौधे लगाकर तारबन्दी व मिट्टी की डोल बनाई गयी। उसके बाद निरन्तर अपीलान्ट के पिता मोती खाँ लगातार उक्त भूमि व पेड–पौधो की सार–सम्भाल करता आ रहा था । अपीलान्ट के पिता की दिनांक 10.04.1999 को देहान्त होने के पश्चात् उक्त भूमि की सार–सम्भाल उसका वारिस पुत्र हनीफ खाँ द्वारा लगातार की जाती रही है। अपीलान्ट वर्तमान में मौके पर उक्त भूमि पर काबिज है व सार–सम्भाल कर रहा है। राजस्व अधिकारियों द्वारा अवांटन खारिज होने की सूचना अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता को नहीं दी गई व न किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया। अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता द्वारा आवंटन में प्राप्त भूमि का विकास कर आवंटन की शर्तों का पालन किया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं है और ना ही कभी राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की खामी बताकर कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही कोई आपत्ति की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन जिला कलक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 29.09.1992 को निरस्त किया जावे।

5. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट हनीफ खाँ पुत्र मोती खाँ जाति मुसलमान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुरके निर्णय दिनांक 29.09.1992 के खिलाफ लगभग 28 साल बाद अपील पेश की है इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। ऐसी दशा में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 खारिज किया जाकर अपील बहस एडमिशन के स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर